माताओं, बहनों और बेटियों के सामाजिक एवं आर्थिक सम्मान के लिए

‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2,100

25 सितंबर 2025 से लागू होगी योजना

23+ आयु की महिलाओं को होगा लाभ

विवाहित एवं अविवाहित महिलाओं को मिलेगा लाभ

₹1 लाख/वर्ष तक आय वाले परिवार की महिलाएं शामिल

सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त हरियाणा

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को स्वीकृति दे हरियाणा सरकार ने महिलाओं को दिया सम्मान और सुरक्षा का भरोसा : नायब सिंह सैनी

दावा : हम हर महीने 2100 रुपये देंगे, पंजाब में चुनावी वादे आज तक अधूरे

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी देशभर में सिद्ध, कांग्रेस की गारंटी 'चीनी सामान' जैसी

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 28 अगस्त : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब की बहनों को अब आम आदमी पार्टी की सरकार पर विश्वास नहीं रहा और वहां की जनता कल्याणकारी योजनाओं के लिए हरियाणा की ओर उम्मीद से देख रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पहले कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को खोखला किया, उसी राह पर अब आम आदमी पार्टी भी चल रही है और चुनावों में महिलाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही। मुख्यमंत्री वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' को मंजूरी देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा करने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब की जनता ने अब मन बना लिया है और यह भलीभांति समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में देशभर में जनकल्याण के ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। इसके विपरीत, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार इच्छा शक्ति, नियत और नीति, तीनों ही स्तर पर विफल साबित हुई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बाढ़

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में बहनों से किए गए वायदे आज तक अधूरे : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 'कुछ दल चुनावों में वोट तो ले लेते हैं लेकिन बाद में जनता को उसके हालात पर छोड़ देते हैं। कांग्रेस ने मानसून सत्र से पहले के सत्र में लाडो लक्ष्मी योजना का मुद्दा खूब उठाया था, प्रश्न भी लगाए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारों द्वारा बहनों से किए गए वादों को अब तक क्यों पूरा नहीं किया गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वास्तव में 'एक ही थाली में खाते हैं' और इसलिए जनता को उन पर कोई विश्वास नहीं रहा। हरियाणा सरकार किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रही है जबकि पंजाब में इस दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा। यहां तक कि आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा में मिलने वाला पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ भी पंजाब की जनता को उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह कांग्रेस विधायकों ने बेटी बचाओ के पोस्टर सदन में लहराए उससे मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर आहत हुआ हूं। सदन में बेटी बचाओ के पोस्टर लहराकर कांग्रेस ने केवल राजनीतिक नौटंकी की है। जिनके शासनकाल में बेटियों की भ्रूण हत्या होती थी, वे आज नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।'

पीड़ितों के लिए सहायता देने का दिया प्रस्ताव : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,'इस आपदा से हुए भारी नुकसान को लेकर वे अत्यंत दुखी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखकर हरियाणा सरकार की ओर से राहत सामग्री, बचाव दल और चिकित्सा सहायता भेजने की पेशकश की है। हरियाणा सरकार मानवता के नाते पंजाब में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जहां पर भी कहेंगे आवश्यक सहायता उसी जगह तुरंत उपलब्ध करवा दी जाएगी ताकि संकट की घड़ी में शीघ्र अति शीघ्र पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके।' प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, सेवा मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग भी उपस्थित थे।

हरियाणा सरकार बिना चुनाव के निभा रही वादे, पंजाब में चुनाव करीब फिर भी अधूरे हैं वादे

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 'वर्तमान हरियाणा सरकार अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र लाकर चुनावों में जनता को गुमराह करती है, लेकिन सत्ता में आते ही उसे भूल जाती है, कूड़ेदान में डाल देती है। कांग्रेस के नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यही स्थिति पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी है। वहां पर भी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया था लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। इसके विपरीत हरियाणा में जहां चुनाव बहुत दूर हैं, सरकार संकल्प पत्र के वादों को निरंतर पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है-जो कहा, वह किया। जबकि कांग्रेस की गारंटी 'चीनी सामान' की तरह है- जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जहां-जहां है, चाहे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान हो या हरियाणा हो, वहां जनता से किया गया हर वादा पूरा किया गया है।'

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा फैसला : 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे

डॉ. सुरेंद्र धीमान/सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 28 अगस्त : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक मदद देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प पूरा कर लिया है।

हरियाणा की भाजपा सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प पूरा किया, मंत्रिमंडल ने योजना को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पत्रकारों को योजना की जानकारी देते हुए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को यहां बताया कि मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' लागू करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जयंती पर 25 सितंबर, 2025 से यह योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 25 सितंबर को 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं (विवाहित और अविवाहित) को लाभ मिलेगा। योजना के तहत पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।

(संबंधित खबर अंदर के पृष्ठ पर)

20 लाख महिलाओं को पहली नवंबर से हर महीने ₹2100 मिलेंगे, 25 सितंबर को लॉन्च होगी योजना

लाडो लक्ष्मी : पहले चरण में एक लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की सभी महिलाएं आएंगी दायरे में

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा में नायब सैनी सरकार की महत्वाकांक्षी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर को लॉन्च होगी। यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में उन परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम और आयु 23 साल या उससे अधिक होगी। साथ ही अविवाहित महिला या विवाहित आवेदिका का पति 15 साल से हरियाणा का मूल निवासी की शर्त पूरी करता हो।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी परिवार में यदि तीन महिलाएं हैं सभी को हर महीने 2100-2100 रुपये मिलेंगे। महिला विवाहित हो या अविवाहित दोनों स्थिति में योजना का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने दावा किया है कि एक नवंबर को हरियाणा दिवस पर पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपये पहुंच जाएंगे।

हरियाणा सरकार ने यह फैसला वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को लॉन्च होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। इससे खजाने में करीब पांच हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा। सैनी ने कहा, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में योजना के लिए पांच हजार करोड़ का बजट रखा है।

- सरकार के खजाने पर पांच हजार करोड़ का पड़ेगा बोझ
- शर्त:परिवार 15 साल से मूल निवासी हो महिला की आयु 23 साल से अधिक हो

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लाडो लक्ष्मी योजना की जानकारी देते सीएम नायब सैनी। डीआईपीआरओ

अगले सप्ताह अधिसूचना, लॉन्च होगा एप

हरियाणा सरकार अगले सप्ताह योजना की अधिसूचना जारी करेगी। इसके साथ ही लाडो लक्ष्मी एप लॉन्च होगा। इसके माध्यम से महिलाओं को पंजीकरण करवाना होगा। सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा ने बताया कि 25 सितंबर से ही पंजीकरण शुरू होगा। हर संभावित पात्र महिला को पंजीकरण के लिए राज्य सरकार संदेश भेजेगी। इसके बाद आवेदन करने वाली महिलाओं की सूची पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार होगा। एप के माध्यम से ही आवेदकों का सत्यापन, लाभ, निगरानी और मूल्यांकन होगा।

पंजीकरण के लिए देने होंगे ये कागजात

एप पर पंजीकरण के दौरान आवेदक को अपना व परिवार के सदस्यों का आधार नंबर, निवास प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, एचकेआरएन आईडी, बिजली कनेक्शन विवरण व वाहन स्वामित्व के कागज अपलोड करने होंगे। सरकार इस दस्तावेज को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रिड) के साथ साझा करेगा। क्रिड पीपीपी के डाटा से इस जानकारी का मिलान कर सत्यापन करेगा। इसके बाद लक्ष्मी लाडो योजना की आईडी जारी होगी।

इन नौ पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो नहीं मिलेंगे 2100

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना ▪ विधवा, निराश्रित, बेसहारा महिला पेंशन ▪ हरियाणा दिव्यांग पेंशन ▪ लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना ▪ कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता ▪ बौना भत्ता ▪ एसिड अटैक से पीड़ित महिला को वित्त योजना ▪ विधुर एवं अविवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता ▪ पदम पुरस्कार सम्मानित के लिए हरियाणा गौरव सम्मान सहायता।

अविवाहित महिलाओं को 45 की उम्र के बाद निराश्रित पेंशन मिलेगी

सीएम ने बताया कि विवाहित महिलाओं को 60 साल की उम्र तक लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता रहेगा। 60 साल की उम्र होते ही वे वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्र हो जाएंगी। अविवाहित लाभार्थी जिस दिन 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी वह स्वतः विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के पात्र हो जाएगी। उसे लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा।

गंभीर बीमारी से पीड़ितों को अतिरिक्त लाभ

सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और कैंसर के तीसरे व चौथे चरण की महिला मरीजों को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। इन मरीजों को राज्य सरकार हर महीने तीन हजार रुपये वित्तीय सहायता देती है।

योजना लॉन्च करने आ सकते हैं मोदी या शाह

यह भाजपा सरकार की सबसे बड़ी योजना है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में इसका उल्लेख किया था। 25 सितंबर को योजना लॉन्च करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आ सकते हैं। हालांकि प्रेस वार्ता में जब मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुरा कर इसे टाल दिया। योजना के शुभारंभ पर पार्टी की ओर से बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें महिलाओं को ही आमंत्रित किया जाएगा।

सबसे ज्यादा हरियाणा में मिलेंगे रुपये

प्रदेश	योजना	रुपये
मध्य प्रदेश	लाडली बहना	1250
ओडिशा	सुभद्रा	800
महाराष्ट्र	माझी लाडकी बहीण	1500
प. बंगाल	लक्ष्मी भंडार	1200
झारखंड	मैया सम्मान	1000
कर्नाटक	गृह लक्ष्मी	2000
तेलंगाना	गृह लक्ष्मी	2000

सीएम नायब सैनी ने बाढ़ पीड़ित पंजाब की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ

मान को लिखा पत्र, कहा- जहां कहेंगे हरियाणा सरकार वहां पहुंचाएगी मदद

चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब के बीच कभी एसवाईएल तो कभी भाखड़ा के पानी को लेकर तकरार और कभी पंजाब विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी पर तनातनी रहती है। लेकिन बाढ़ की मुसीबत के समय सभी विरोध भूलकर हरियाणा सरकार ने पंजाब की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा दिल दिखाते हुए पंजाब को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है।

पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि इस आपदा से हुए भारी नुकसान को लेकर वे अत्यंत दुखी हैं। प्राकृतिक आपदा में पंजाब के भाई-बहन काफी कष्ट झेल रहे हैं। हरियाणा सरकार और राज्य की लगभग दो करोड़ 80 लाख जनता इस कठिन समय में पंजाब के साथ मजबूती से खड़ी है। मान को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि यदि आपको किसी भी प्रकार की राहत सामग्री, बचाव दल, चिकित्सा सहायता या अन्य संसाधनों की आवश्यकता हो तो निसंकोच अवगत कराएं। आप जहां कहेंगे, वहां मदद पहुंचा दी जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने इसकी जानकारी वीरवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

यह पत्र लिखने का समय नहीं मदद के लिए आना चाहिए : आप

सीएम सैनी के मदद के पत्र पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता बलतेज पन्नू ने एतराज जताया है। पन्नू ने कहा कि यह पत्र लिखने का समय नहीं है। अब तक मदद के लिए जरूरी राहत सामग्री के साथ हरियाणा और राजस्थान को आगे आ जाना चाहिए था। पंजाब दोनों राज्यों को पानी देता है और इसके बदले में उनसे कुछ नहीं लेता।

नायब सरकार की सौगात दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से लाभान्वित होंगी 20 लाख महिलाएं

हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से मिलेंगे 2100 रुपये

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 28 अगस्त

हरियाणा की भाजपा सरकार ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' लागू करने का फैसला किया गया। इस योजना की शुरुआत पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती यानी 25 सितंबर से होगी।

योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार संकल्प पत्र को गीता की तरह मानती है और उसमें किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है।

भाजपा ने इस योजना को पार्टी और संघ के वरिष्ठ नेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से जोड़ने का निर्णय लिया है। अब हरियाणा की बहन-बेटियों को 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत मासिक आर्थिक सहयोग मिलेगा।

आसान आवेदन प्रक्रिया

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 6-7 दिनों में योजना की गजट अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आवेदन के लिए एक मोबाइल एप लॉन्च किया जाएगा। पात्र महिलाओं को एसएमएस के जरिए आवेदन की सूचना दी जाएगी। साथ ही पंचायतों और वार्डों में पात्र महिलाओं की सूची सार्वजनिक की जाएगी। ग्राम सभा या वार्ड सभा को आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।

23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं होंगी पात्र

योजना के तहत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित और अविवाहित महिलाएं पात्र होंगी। पहले चरण में एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले योजना में शामिल होंगे। अभी लगभग 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। आगे चलकर अन्य आय वर्ग को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

परिवार में सभी को लाभ

योजना में एक परिवार की महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यदि किसी परिवार में तीन महिलाएं हैं, तो तीनों को ही 2100 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पात्रता के लिए अविवाहित महिला या विवाहित महिला का पति कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी होगा।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले से चल रही 9 योजनाओं के अंतर्गत जिन महिलाओं को अधिक राशि की पेंशन मिल रही है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, कैंसर (स्टेज 3 व 4) मरीजों, 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित महिलाओं को यह अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना शुरू होगी

कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम सैनी का ऐलान

प्रदेश में 25 सितंबर से महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये प्रतिमाह

परिवार में तीन महिलाएं हैं तो सभी को मिलेगा लाभ ■ लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5000 करोड़ का फंड मंजूर ■ पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को दिया जाएगा योजना का लाभ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने अपने संकल्प पत्र के एक ओर वायदे को पूरा करते हुए महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती अर्थात 25 सितंबर से इस योजना का शुभारम्भ होगा। इसके तहत सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत, 25 सितंबर, 2025 को 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं (विवाहित और अविवाहित) को लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।

ये शर्तें भी

- 23 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को लाभ
- पहले चरण में वे परिवार शामिल जिनकी आय 1 लाख से कम
- चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को योजना में शामिल करेंगे
- जो पहले से पेंशन ले रही उनको लाभ नहीं मिलेगा गंभीर बीमारियों से पीड़ित को अतिरिक्त लाभ

प्रदेश में 15 साल का निवासी होना जरूरी

योजना के लाभ के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में 15 साल से निवासी होना जरूरी होगा। एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं, तो सभी को लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता, बौने के लिए भत्ता योजना, एसिड अटैक पीड़ित महिला और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता, विधवा और अविवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार सम्मानित के लिए हरियाणा गौरव सम्मान सहायता, जिनमें आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इन्हें अतिरिक्त लाभ

- स्टेज 3 व 4 कैंसर पीड़ित मरीजों, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन आवेदिकाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्हें लाडो लक्ष्मी का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
- जिस दिन अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी उस दिन से वे विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी।
- लाभार्थी जैसे ही 60 वर्ष आयु की होगी, वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगी।

एप भी लॉन्च किया जाएगा

- इस योजना के पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। आगामी दिनों में योजना की गजट नोटिफिकेशन करने के साथ-साथ एक एप भी लॉन्च किया जाएगा, जिस पर पात्र महिला अपना पंजीकरण करेगी।
- हर पात्र महिला को एसएमएस जाएगा कि इस योजना के लिए आप पात्र हैं, एप पर आवेदन करें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।

बड़ी घोषणा • 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी' योजना 25 सितंबर से होगी लागू, 19.98 लाख महिलाओं को लाभ; पहले से 9 योजनाओं में शामिल महिलाओं को बाहर रखा

लाडो को लक्ष्मी

₹1 लाख की आय वाले परिवारों की 23 साल से ऊपर की महिलाओं को हर माह ₹2100 मिलेंगे

अविवाहित को 45, विवाहित को 60 की आयु तक लाभ, फिर दूसरी योजना से जुड़ेंगी

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन 25 सितंबर से लागू होगी। इसका नाम 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' होगा। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में फैसले के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी। योजना के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसके अनुसार, फिलहाल योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए या इससे कम है। महिला की उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए। विवाहित महिला को 23 से 60 और अविवाहित को 23 से 45 वर्ष की आयु तक योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद ये महिलाएं ऑटोमेटिक दूसरी योजनाओं में शामिल हो जाएंगी। वहीं, सरकार की 9 योजनाओं में पहले से लाभ ले रहीं महिलाओं को 'लाडो लक्ष्मी' योजना से बाहर रखा है। अभी करीब 20 लाख महिलाओं को इस नई योजना का लाभ मिलेगा। इनमें 17.23 लाख शादीशुदा और 2.75 लाख अविवाहित हैं। सरकार एक सप्ताह में योजना की अधिसूचना जारी करेगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी महिलाओं को 'लाडो लक्ष्मी' योजना का लाभ देने का वादा किया था। सीएम ने कहा कि संकल्प पत्र को हम गीता के समान मानते हैं। सरकार ने एक और वादा पूरा करने का काम किया है। चरणबद्ध तरीके से अन्य आय वर्ग की महिलाओं को भी योजना में शामिल किया जाएगा।

भास्कर एक्सप्लेनर — परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं भी ले सकेंगी लाभ, गंभीर बीमारियों से पीड़ित को पेंशन के साथ अतिरिक्त मदद

• **लाडो लक्ष्मी योजना का मकसद क्या है?**
योजना में पात्र महिला को प्रतिमाह 2100 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आजीविका को बेहतर करना है।

• **सरकार ने सभी महिलाओं को लाभ देने की घोषणा की थी, अब किसे दिया है?**
अभी सालाना 1 लाख तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। अगले चरण में 1.80 लाख, फिर 3 लाख तक और बाद में 5 लाख तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जा सकता है।

• **उम्र को लेकर क्या शर्त रखी गई है?**
महिला की उम्र 25 सितंबर तक 23 साल या इससे ऊपर हो। विवाहित को 23 से 60 और अविवाहित को 23 से 45 वर्ष की उम्र तक लाभ मिलेगा। अविवाहित महिला 45 वर्ष की होते ही ऑटोमेटिक निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। विवाहित 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की पात्र होंगी। 'लाडो लक्ष्मी' से ऑटोमेटिक कट जाएगा।

• **क्या हरियाणा में रह रहीं दूसरे राज्यों की महिलाएं लाभ ले सकेंगी?**
अविवाहित है तो हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक है। शादीशुदा है का पति 15 साल से हरियाणा का निवासी हो।

• **परिवार में कितनी महिला लाभ ले सकेंगी?**
आय वर्ग के दायरे वाले परिवार में कितनी भी पात्र महिलाएं हों, सभी को लाभ मिलेगा।

• **किसी दूसरी योजना का लाभ ले रही हैं तो क्या 'लाडो लक्ष्मी' का लाभ मिलेगा?**
सरकार द्वारा चलाई जा रहीं 9 योजनाओं में लाभ ले रहीं महिलाओं को 'लाडो लक्ष्मी' का लाभ नहीं मिलेगा। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता, बौनापन भत्ता योजना, एसिड अटैक पीड़ित महिला और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, पद्म पुरस्कार सम्मानित के लिए हरियाणा गौरव सम्मान सहायता योजना शामिल हैं। हालांकि, कैंसर के स्टेज-3 और स्टेज-4 की पीड़ित महिलाओं, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों और हीमोफीलिया, थैलेसिमिया व सिकल सेल से पीड़ित महिलाओं को पेंशन के साथ लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

• **कौन पात्र है, इसका पता कैसे चलेगा?**
ये परिवार पहचान पत्र से तय होगी। पात्र महिला को मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजा जाएगा।

• **एसएमएस नहीं आता है तो क्या करें?**
परिवार पहचान पत्र में देखें कि मोबाइल नंबर व अन्य जानकारियां अपडेट हों। पात्र सूची पंचायत व वार्ड में प्रकाशित की जाएगी। नाम सूची में नहीं है तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

• **आवेदन कहां करना होगा?**
6-7 दिन में योजना की अधिसूचना जारी होगी। एप लॉन्च होगा। जिन महिलाओं को पात्र होने का एसएमएस आएगा, उन्हें एप डाउनलोड कर आधार नंबर भरकर पंजीकरण करना होगा।

• **आवेदन को जरूरी दस्तावेज क्या हैं?**
परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाते की पासबुक, परिवार की 1 लाख से कम आय का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार व बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर आदि।

• **योजना पर कितना खर्च आएगा?**
सरकार ने बजट में 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह 25 सितंबर से लागू होगी। शर्तों के हिसाब से मौजूदा वित्त वर्ष के बाकी 8 माह के लिए 3360 करोड़ की जरूरत होगी।

• **योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने की खास वजह क्या है?**
पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उनकी सोच अंत्योदय के उत्थान की थी। यानी वे सबसे कमजोर और सबसे गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते थे। उनकी जयंती पर इस योजना की शुरुआत निम्न आय वर्ग के परिवारों की महिलाओं से की जा रही है।

हरियाणा सरकार ने चुनाव में किया वादा पूरा किया, पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को लाडली योजना के तहत 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा, मंत्रिमंडल की बैठक में योजना को दी गई मंजूरी

- पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से शुरू होगी योजना, योजना का नाम है 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए।

डॉ. सुरेंद्र धीमान / सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 28 अगस्त : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किए महत्वपूर्ण वादे को पूरा कर दिया है। पहले चरण में हरियाणा सरकार पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये लाडली योजना के तहत देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र के एक और वादे को पूरा करते हुए महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' लागू करने का फैसला किया गया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जयंती पर 25 सितंबर, 2025 से यह योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 25 सितंबर को 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं (विवाहित और अविवाहित) को लाभ मिलेगा। योजना के तहत पहले चरण में उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी योजना में शामिल किया जाएगा।'

अगर 54 दुर्लभ बीमारियों के तहत लाभ मिल रहा है तो लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मंत्रिमंडल में निर्णय लिया कि स्टेज तीन और चार कैंसर पीड़ित मरीजों, सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों और हीमोफिलिया, थैलेसिमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन पात्र महिलाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का भी लाभ मिलेगा। जिस दिन अविवाहित पात्र महिला 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी, उस दिन वह ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएगी। लाभार्थी महिला जैसे ही 60 वर्ष आयु की होगी, वह ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। इस योजना के पहले चरण में लगभग 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।'

पात्र महिलाओं को एप पर पंजीकरण करना होगा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 'इस योजना की गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही एक एप भी लॉन्च किया जाएगा। जिस पर पात्र महिला अपना पंजीकरण करेंगी। हर संभावित पात्र महिला को एसएमएस भी भेजा जाएगा कि इस योजना के लिए आप पात्र हैं, ऐप पर आवेदन करें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायतों और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।'

परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं हैं तो भी सभी को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 'इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, एक परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं हों, सभी को यह 2100 रुपये की राशि हर महीने मिलेगी। अगर महिला अविवाहित है तो वह पिछले 15 साल से हरियाणा निवासी होनी चाहिए। अगर महिला विवाहित है तो उसका पति पिछले 15 साल से हरियाणा निवासी होना चाहिए। योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि एक परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा।'

इन योजनाओं के तहत अगर लाभ मिल रहा है तो लाडो योजना का लाभ नहीं मिलेगा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 'हरियाणा सरकार की तरफ से नौ योजनाओं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता, बौने के लिए भत्ता योजना, एसिड अटैक पीड़ित महिला और लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता, विधवा और अविवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, पदम पुरस्कार सम्मानित के लिए हरियाणा गौरव सम्मान सहायता के तहत अगर किसी पात्र महिला को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है तो उन्हें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।'